

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तरपुस्तिकाओं की खुली नीलामी दिनांक 08.11.2024 को सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित की जाएगी। नीलामी की नियम व शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.crsu.ac.in पर देखी जा सकती हैं।

कुलसचिव



नीलामी के नियम व भातें

1. नीलामी जैसा सामान है, जहां है के आधार पर होगी
2. नीलामी में भाग लेने हेतु बोली दाता को दो लाख रूपए मात्र धरोहर राशि के रूप में बोली आरंभ होने से पहले नगद जमा करवानी होगी। यह राशि बोली समाप्त होने पर असफल बोली दाताओं को उसी समय वापिस कर दी जायेगी और सफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि ममायोजित कर दी जाएगी।
3. सबसे उच्च बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जायेगी तथा सफल बोली दाता को नात दिन के अन्दर नीलामी की पूरी धनराशि जमा करवाकर सम्पूर्ण सामान उठाना होगा।
4. यदि मर्वाधिक बोलीदाता निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी की सामग्री का उठान नहीं करता तो उसकी अग्रिम धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी दूसरे मर्वाधिक बोलीदाता को दे दी जायेगी व बोली दाता को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
5. बोली किए जाने वाले सामान का निरिक्षण किसी भी कार्यदिवस पर 10:00 बजे से 4:00 बजे तक किया जा सकता है।
6. केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोली में शामिल किया जायेगा जिनके पास प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान-पत्र (जैसे-पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स आदि) होगा।
7. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च या उठान खर्च सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
8. सामान की नीलामी वास्तविक वजन के आधार पर धर्म कांटा/वजनी मशीन के आधार पर होगी। इस पर होने वाले खर्च का वहन सफल बोलीदाता को करना होगा।
9. बोलीदाता अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे हमेशा के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
10. नीलामी की कोई अन्य शर्त होगी तो उसे बोली स्थल पर ही सुनाया/बताया जायेगा।
11. कुलसचिव को किसी भी नीलामी को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सभी प्रकार के विवादों का निपटान का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
13. यदि किसी कारणवश नीलामी के दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले दिन होगी।
14. बिना कारण बताए बोली रद्द करने का एकाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।
15. उतरपुस्तिका उठाने वाली फर्म/व्यक्ति को एक शपथपत्र 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित में देना होगा कि वह उतरपुस्तिकाओं को आगे ना बेचकर सिर्फ पुनर्क्रय हेतु इस्तेमाल करेगा।

कुलसचिव